

- 12 बस स्टेशन पर आने वाली बसों में सफाई/डस्टिंग के निमित्त सम्बन्धित परिचालक से रू0 3/- लेकर उक्त कार्य कराये जाने हेतु संचालक द्वारा पृथक से व्यवस्था की जायेगी तथा इस निमित्त पृथक कार्मिक लगाये जायेंगे एवं अन्यथा की दशा में निगम द्वारा भी अधिकृत कर कुलियों की भांति उक्त कार्मिक लगाये जा सकते हैं।
- 13 फर्श की यान्त्रिक सफाई एवं कार्यालयों आदि की वैक्यूम क्लीनर से तथा अन्य उपकरणों से सफाई सम्बन्धी प्रस्तावकों को वरीयता दी जायेगी।
- 14 फर्म/ठेकेदार को झाड़ू, चूना, फिनाईल, कूड़ा उठाने की ट्राली आदि स्वयं अपने व्यय पर वहन करनी होंगी।
- 15 फर्म/ठेकेदार द्वारा लगाये गये कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार की दूर्घटना या प्राकृतिक आपदा होने पर किसी भी प्रकार का विधिक एवं वित्तीय उत्तरदायित्व निगम का नहीं होगा अपितु इसका पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म/ठेकेदार का होगा।
- 16 भूतपूर्व सैनिक संगठनों तथा लगाये जाने वाले कार्मिकों की संख्या के आधार पर ही सम्बन्धित को वरीयता दी जायेगी।
- 17 फर्म/ठेकेदार को इस प्रकार के कार्य करने का न्यूनतम 06 माह का अनुभव होना चाहिए, अनुभव प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
- 18 निविदादाता को रू0 10,000/- (दस हजार) प्रतिभूति राशि का बैंक ड्राफ्ट **REGIONAL MANAGER UPSRTC MEERUT** के नाम बनवाकर अपने ऑफर/टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगी :-
- 19 प्रस्तावकों को जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं एम कार्ड की प्रति प्रस्ताव के साथ नत्थी करनी होगी। भुगतान पर नियमानुसार जी0एस0टी0 लागू होगी।
- 20 फर्म/ठेकेदार को जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र टेण्डर फार्म के साथ संलग्न करना होगा।

दिनांक 05.11.2020 तक कार्यालय समस्त बस कार्यालयों में रूपये 236 (200फीस+36जीएसटी) जमा कर टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते हैं तथा यदि धनराशि डिफिडेंडल नहीं हैं। उपरोक्ता बिन्दुओं पर सम्पूर्ण सूचना/प्रमाण पत्र/फोटो समाहित करते हुए टेण्डर फार्म पर इच्छुक प्रस्तावकों द्वारा प्रति वर्गमीटर दर का अलग-2 (बस स्टेशन एवं कार्यशाला) उल्लेख करते हुए अपने प्रस्ताव दिनांक 06.11.2020 को 14:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में जमानत राशि के बैंक ड्राफ्ट सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में रखे टेण्डर बॉक्स में डाले जायेंगे, जो उसी दिनांक को 15:00 बजे आकर दाताओं के समक्ष क्षेत्रीय समिति द्वारा खोले जायेंगे तथा किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्रीय समिति में निहित होगा।

क्षेत्रीय प्रबन्धक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को ई-मेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 मुख्य प्रधान प्रबन्धक(सचिव), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
- 2 प्रधान प्रबन्धक(वाणिज्य एवं विपणन), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
- 3 अधिशासी अभियन्ता(पश्चिम) परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
- 4 सहायक प्रबन्धक(एमआईएस) परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को परिवहन निगम की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
- 5 समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
- 6 सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
- 7 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0 परिवहन निगम मेरठ।
- 8 सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, स्टेशन अधीक्षक, डिपो प्रभारी, मेरठ/सो0गेट/भैसाली/बडौत/गढ डिपो।
- 9 tender@upsrtc.com
- 10 समस्त नोटिस बोर्ड मेरठ क्षेत्र।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
मेरठ।